भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2320
10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषयः डिजिटल कृषि मिशन

2320. श्री लुम्बा रामः
श्री हमदुल्ला सईदः

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में डिजिटल कृषि मिशन (डीएएम) और इससे संबंधित कार्यक्रमों को लागू किया है;

(ख) देश भर में डिजिटल कृषि मिशन के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति क्या है और वर्तमान में इससे लाभान्वित होने वाले किसानों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) इस मिशन के तहत डेटा संग्रह, विश्लेषण और किसानों की डेटा संबंधी गोपनीयता की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(घ) क्या किसानों को एआई, ड्रोन और सेंसर जैसी प्रौद्योगिकियों का उपयोग करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रावधान है।

(ङ) यदि हां, तो अब तक आयोजित किए गए ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या कितनी है; और

(च) इस मिशन के तहत समावेशिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क और डिजिटल साक्षरता की चुनौतियों का समाधान करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) से (च): सरकार ने 2 सितंबर, 2024 को 2817 करोड़ रुपये के परिव्यय सहित डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दी है। मिशन का उद्देश्य देश में एक मजबूत डिजिटल कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को सक्षम करना है ताकि इनोवेटिव किसान-केंद्रित डिजिटल समाधान किए जा सकें और देश के सभी किसानों को समय पर और विश्वसनीय फसल संबंधी जानकारी उपलब्ध कराई जा सके। मिशन के अंतर्गत कृषि हेतु डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एग्रीस्टैक, कृषि निर्णय सहायता प्रणाली, व्यापक मृदा उर्वरता और प्रोफाइल मैपिंग और केंद्र सरकार/राज्य सरकारों द्वारा की जाने वाली अन्य आईटी पहलों का निर्माण शामिल है। एग्रीस्टैक परियोजना इस मिशन के प्रमुख घटकों में से एक है,जिसमें कृषि क्षेत्र में तीन मूलभूत रजिस्ट्री या डेटाबेस, अर्थात किसानों की रजिस्ट्री, भू-संदर्भित गांव के नक्शे और बोई

गई फसल रजिस्ट्री शामिल हैं, जिसे सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा तैयार की जाती है एवं रखी जाती हैं। सरकार मिशन के कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों को प्रशासनिक और तकनीकी सहायता प्रदान कर रही है। दिनांक 05.12.2024 तक कुल 29,99,306 किसान आईडी सृजित की जा चुकी हैं और खरीफ 2024 में 436 जिलों में डिजिटल फसल सर्वेक्षण (डी.सी.एस.) किया जा चुका है। एग्रीस्टैक एक संघीय संरचना है और डेटा का स्वामित्व केवल संबंधित राज्यों के पास है। यह संघीय प्रणाली डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डी.पी.डी.पी) अधिनियम, 2023 के अनुसार गोपनीयता पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है।

*****